



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082026-275658
CG-DL-E-21082026-275658

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 689]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2026/श्रावण 30, 1948

No. 689]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2026/SHRAVAN 30, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2026

सं. 30/2026-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 755(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विवरण के माल, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (इसके बाद 'सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की प्रथम अनुसूची के, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट टैरिफ शीर्ष के अंतर्गत आते हैं, को ऐसे माल के कुल आयात की उस मात्रा तक, जो नीचे स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) मात्रा' कहा गया है), भारत में आयात किए जाने पर, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमा शुल्क से, इस अधिसूचना के अनुबंध में विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ शीर्ष	माल का विवरण	टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1701	कच्ची चीनी	10,00,000 मीट्रिक टन

अनुबंध

शर्त

- (क) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा आयातक को हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर, 2023 में निर्दिष्ट प्रासंगिक प्रक्रिया के अनुसार टीआरक्यू आवंटित किया जाता है।
- (ख) टीआरक्यू प्राधिकार-पत्र में आयातकर्ता का नाम और पता, आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी), सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या, यथालागू टैरिफ शीर्ष, मात्रा और प्रमाणपत्र की वैधता अवधि अंतर्विष्ट होगी।
- (ग) टीआरक्यू प्राधिकार-पत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा और भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) को प्रेषित किया जाएगा।
- (घ) टीआरक्यू के अधीन किए गए आयातों को आईसीईएस प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से नामे किए जाने पर ही अनुमति किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 31 अक्टूबर, 2026 तक, उक्त तारीख सहित, प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/105/2026-टीआरक्यू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2026

No. 30/2026-Customs

G.S.R. 755(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the ‘Customs Tariff Act’), as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, in such quantity of total imports of such goods, as specified in column (4) below (herein after referred to as the ‘Tariff Rate Quota (TRQ) quantity’), when imported into India, from the whole of the customs duty leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, subject to the condition specified in the Annexure to this notification, namely: -

TABLE

Sl. No.	Tariff Heading	Description of goods	Tariff Rate Quota (TRQ) quantity
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1701	Raw Sugar	10,00,000 MT

ANNEXURE

Condition
(a) The TRQ is allotted to the importer by the Directorate General of Foreign Trade, in accordance with the relevant procedure as specified in the Hand Book of Procedures, 2023;
(b) The TRQ authorization shall contain name and address of the importer, Importer-Exporter Code (IEC), Customs notification number, tariff heading as applicable, quantity and validity period of certificate;
(c) The TRQ authorization shall be issued electronically by the Directorate General of Foreign Trade and transmitted to Indian Customs EDI System (ICES); and
(d) Imports made against the TRQ shall be allowed only upon debiting electronically in the ICES system.

2. This notification shall come into force with immediate effect, and shall remain in force upto and inclusive of the 31st day of October, 2026.

[F. No. CBIC-190354/105/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.